नाथू वगै. बनाम आतुका वगै. आदि

यालय

या

मू. नम्बर 25/ [illegible]

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/7/22	वकीलो द्वारा आज कण्डोलेस रखे जाने पर पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 21/7/22 को पेश हो।	
21/7/22	[illegible]साइ . . आफीसर दौरे / अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28/7/22 को पेश हो	
28/7/22	व. नि. उप. तहसीलदार रिपोर्ट अप्राप्त पत्रावली बमुकाम रिपोर्ट तहसीलदार हेतु दिनांक 4/8/22 को पेश हो। [illegible]	
4/8/22	[illegible]साइ . आफीसर दौरे / अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 10/8/22 को पेश हो।	
10/8/22	वकीलो द्वारा आज कण्डोलेस रखे जाने पर पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 24/8/22 को पेश हो।	
24/8/22	व. नि. उप. अप्रार्थी संख्या 1,5,7,8,10 की ओर से जवाब धा. फा 251(ग) पेश किया गया जो शामिल पत्रावली [illegible] मे। अयोध्यालाल [illegible] निरक्षण किया [illegible] पटवारी हल्का [illegible] से फर्द मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर शामील पत्रावली किया गया अधिवक्ता उभयपक्षगण की बहस सुनी गई। पत्रावली, जवाब, फर्द मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया बहस पर [illegible]	अप्रार्थी के [illegible] [illegible] रास्ता किया जाता है। [illegible] [illegible] Ramu [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

नाथू बनाम अर्जुन वगै.

...म न्यायालय

...स संख्या 10/2021

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		मनन किया गया। प्रा. पत्र का फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 4/8/22 के अनुसार प्रार्थी व उपस्थित अप्रार्थी की सहमति के अनुसार स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में नकल शामिल होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]
	7/9/22	अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रा. पत्र तहत धारा 152 जा. दीवानी बाबत निर्णय दिनांक 24/8/22 में संशोधन करवाने का पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रा. पत्र में निवेदन किया गया कि निर्णय दिनांक 24/8/22 पारित करते समय न्यायालय द्वारा सहवन से। लिपिकीय त्रुटिवश निर्णय के Page No 3 की दूसरी पंक्ति में [illegible] गड्ढा के स्थान पर [illegible] पंक्ति में [illegible] गड्ढा के स्थान पर गडलिया का [illegible] गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त त्रुटि को लाल स्याही से दुरुस्त करने की कृपा करें। पत्रावली का अवलोकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

बनाम अर्जुन नर्मी.

नाक

...लय

...मा 10/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	मिसल पेश हुई। प्रा. पत्र, निर्णय दिनांक 24/8/24, रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रा. पत्र में अंकित त्रुटि को शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 152 का स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 24/8/24 के पेज नम्बर 3 की दोनों पंक्ती में ग्राम दागडा के स्थान पर ग्राम दौपगढ़ा व पेज नम्बर 5 की उपक्त पंक्ती में ग्राम गुजरीया के स्थान पर लाल स्याही से ग्राम दौलगढ़ा दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये हैं। पत्रावली पूर्व आदेश अनुसार फैसला दाखिल दफ्तर हो। प्रा. [illegible] को [illegible] से पालना हो। उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

I. 10 / 2021

उनवान

1. नारू पुत्र श्री गणपत,
2. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी नाहरूराम उर्फ नारू,

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम गुडलिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

——<u>प्रार्थीगण</u>

बनाम

1. अर्जुन पुत्र रूडा,
2. कमली देवी पुत्री श्योला,
3. गणेश पुत्र घीसा,
4. गोपाल पुत्र घीसा,
5. बाबू लाल पुत्र रूडा,
6. मंगली पत्नी श्योला,
7. रामचन्द्र पुत्र रूडा,
8. रामेश्वर पुत्र रूडा,
9. सुभाष पुत्र श्योला,
10. सीताराम पुत्र रूडाराम,
11. हरिसिंह पुत्र श्योला,

    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम छोटागुढ़ा, पटवार हल्का गुडलिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार लरिये लैण्ड हौल्डर उप–तहसीलदार महोदय गोविन्दगढ़, उप–तहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
14. ओ0 बी0 सी0 बैंक (हाल पी0 एन0 बी0 बैंक) जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा किशनपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

——<u>अप्रार्थीगण</u>

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

निर्णय दिनांक 24.08.2022

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम गुडलिया, पटवार हल्का गुडलिया, भू०अभि0 निरीक्षण क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में प्रार्थीगण की कब्जे शुदा स्वामित्व की खातेदारी भूमि हाल खाता संख्या 93 में वर्णित खसरा नम्बर 737 रकबा 1.79 कुल किता 1 कुल रकबा 1.79 हैक्टेयर स्थित हैं, जिसके प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में [illegible] से काबिज मालिक स्वामी हैं । उक्त मद में वर्णित प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि हैं, जिसेकी उक्त प्रार्थना पत्र के साथ न[illegible]ी मानचित्र जो कि प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग हैं में बरंग पीले से प्रदर्शित किया गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वर्णित प्रार्थीगण की कब्जेशुदा खातेदारी भूमि के पूर्व दिशा की और अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 270 / 994 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 274 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 275 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 276 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 277 रकबा 9.85 हैक्टेयर,

खसरा नम्बर 278 रकबा रकबा 1.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 280/996 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 281 रकबा 1.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 282 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283/998 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 284/999 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 347 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 348 रकबा 1.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 349/1009 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 350/1010 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 351 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 353 रकबा 1.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 354 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 355 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 356 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 359 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 360 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 372 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 373/1017 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 376/1018 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 29 का कुल रकबा 18.91 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं।

प्रार्थीगण की उक्त वर्णित व सलंग्न नजरी मानचित्र में बरंग पीले से प्रदर्शित कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु वर्तमान में कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं हैं तथा प्रार्थीगण उक्त वर्णित स्वंय की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि में पूर्व दिशा की और स्थित अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि जिसका उल्लेख प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में किया गया हैं के खसरा नम्बर 277, 278 के मध्य सीमा के सहारे सहारे पूर्व–पश्चिम की और अर्थात खसरा नम्बर 737 तक आवागमन करते हैं, जो कि पूर्वी दिशा की और स्थित खसरा नम्बर 283 सवाईचक रास्ते की और छोटा गुढा से रोलानियों की ढाणी जाने वाले आम रास्ते जो कि वर्तमान में ग्रेवल रोड हैं जिसे की सलंग्न नजरी नक्शे में बरंग हरे से प्रदर्शित किया गया हैं पर खुलता हुआ हैं। प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में जिस भूमि से आवागमन किया जा रहा हैं वह खसरा नम्बर 277, 278 में से होकर किया जा रहा हैं, जिसे सलंग्न नजरी मानचित्र में मार्क ए से बी के रूप में प्रदर्शित किया गया हैं।

इस प्रकार उक्त वर्णित व सलंग्न नजरी मानचित्र में बरंग पीले से प्रदर्शित प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में कोई भी रास्ता अंकित नहीं हैं, तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 3 में जिस रास्ते का उल्लेख किया गया हैं जिसकी नजरी मानचित्र में बरंग लाल मार्क ए से बी के रूप में प्रदर्शित किया गया हैं रास्ता ही लघुतम व सुविधाजनक रास्ता हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई लघुतम व सुविधाजनक रास्ता ना तो मौके पर ना ही राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पास स्वंय की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु मौजूद हैं।

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 को अनेक मर्तबा उक्त प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 3 में वर्णित व सलंग्न नजरी मानचित्र में बरंग लाल व मार्क ए से बी के रूप में प्रदर्शित रास्ते को कानून में वर्णित अनुसार राशि प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने हेतु कहा गया। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 द्वारा प्रार्थीगण को सदैव आश्वासन दिया गया किन्तु दिनांक 26.05.2022 को प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 से निवेदन करने पर कि उनके द्वारा प्रस्तावित रास्ते को नियमानुसार राशि प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया जावें, ताकि वह स्वंय की खातेदारी भूमि का सुगमता पूर्वक उपयोग कर सके, जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 उग्र हो गये तथा प्रार्थीगण से लडाई झगडा कर प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लेखित व सलंग्न नजरी मानचित्र में बरंग लाल व मार्क ए से बी प्रदर्शित रास्ते को देने से साफ इन्कार कर दिया। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 3 में वर्णितानुसार व

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested

संलग्न नजरी मानचित्र में प्रदर्शित बरंग लाल मार्क ए से बी रास्ते जो कि वाके ग्राम [illegible]डम तहसील चौमूँ, जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 277 व 278 में स्थित हैं, जिसकी स्थित उक्त रास्ते को लगभग 5 मीटर चौडाई में उत्तर–दक्षिण व पूर्व–पश्चिम लगभग 150 मीटर लम्बाई हैं को अप्रार्थीगण को विधि अनुसार राशि दिलवाई जाकर रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1, 5, 7, 8, 10 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के पूर्व दिशा में स्थित खसरा नम्बर 283 सिवाय चक रास्ते की ओर छोटागुढा से रोलानियों की ढाणी जाने वाले आम रास्ते से खसरा नम्बर 277 अप्रार्थी संख्या 3 गणेश वगै. की ढाणी में रास्ता चालू है जो प्रार्थीगण का सुगम व निकटतम रास्ता है तथा उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 277 व 278 के मध्य सीमा के सहारे पूर्व पश्चिम की ओर अर्थात खसरा नम्बर 337 तक आवागमन मिथ्या है अस्वीकार है। खसरा नम्बर 277 व 278 में कोई रास्ता विद्यमान नही है प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 277 व 278 में से होकर आवागमन नही किया जाता है। प्रार्थीगण ने मिन जवाबदातागण की खातेदारी भूमि से से गलत तरीके से रास्ता चाहने बाबत उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि प्रार्थीगण के पास पूर्व से वैकल्पिक व निकटतम रास्ता मौजूद है। खसरा नम्बर 277 व 278 में से होकर रास्ता गलत मांगा गया है। जिस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण के पास पूर्व से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के पूर्व दिशा में स्थित खसरा नम्बर 283 सिवाय चक रास्ते की ओर छोटागुढा से रोलानियों की ढाणी जाने वाले आम रास्ते से खसरा नम्बर 277 अप्रार्थी संख्या 3 गणेश वगै. की ढाणी में रास्ता चालू है तथा उक्त रास्ता ही सबसे निकटतम व सुविधाजनक रास्ता है। प्रार्थीगण ने गलत तरीके से अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 277 व 278 में से रास्ता चाहने बाबत उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

यदि प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार मिन जवाबदातागण की भूमि खसरा नम्बर 277 व 278 में रास्ता दे दिया गया तो प्रार्थीगण अपने नाजायज मन्सूबों में कामयाब हो जायेंगे तथा मिन जवाबदातागण को अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित होना पडेगा जिस कारण मिन जवाबदातागण के खातेदारी अधिकारों का हनन होगा तथा मिन जवाबदातागण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में किया जाना कतई भी सम्भव नही हो सकेगा। जिस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है प्रार्थीगण द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थना पत्र धारा 251ए आर. टी. एक्ट के विधिक प्रावधानों के विपरीत पेश होने तथा प्रार्थीगण के पास आवश्यकता हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के कारण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमा[illegible] के आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संबंध [illegible] चौमूं से रिपोर्ट दिनांक 30.11.2021 प्राप्त की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 5, 7, 8, 10 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 24.11.2021 व पटवारी रिपोर्ट दिनांक 30.11.2021 का पेश किया गया। प्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 24.11.2021 व पटवारी रिपोर्ट दिनांक 30.11.2021 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति फर्द मौका रिपोर्ट पर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गयी। प्रा0पत्र बाबत आपत्ति फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 24.11.2021 व पटवारी रिपोर्ट दिनांक 30.11.2021

मौकार किया जाकर पत्रावली मे पुनः फर्द मौका रिपोर्ट स्वयं अद्योहरताक्षरकर्ता की उपस्थिति मे तैयार कर प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा ग्राम गुडलिया में स्थित अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 737 में जाने के लिए ग्राम की सीमा पर स्थित ग्राम छोटा गुढा के खसरा नम्बर 277 में से दक्षिणी सीमा के सहारे रास्ता चाहा गया है। मौके पर उपस्थित प्रतिवादीगणों द्वारा कहा गया कि इसी खसरा नम्बर 277 में से एक चालू रास्ता दिया जाना उचित होगा। अतः वादी–प्रतिवादीगण से वातचीत कर उक्त चालू रास्ता को आगे प्रार्थी की भूमि तक वढाकर रास्ते के उपयोग हेतु प्रस्तावित करने पर सभी की सहमति उपस्थितों द्वारा दी गई। उक्त अनुसार ख0न0 277 (ग्राम छोटा गुढा) में से ग्राम गुडलिया के खसरा नम्बर 737 तक रास्ता मौके पर ही नक्शे में प्रस्तावित कर नक्शा तैयार किया गया जिसे हरे रंग से दर्शाया गया है।

प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक जाने वाले उक्त रास्ता जो कि खसरा नम्बर 277 में वनाया गया है जिसकी पूर्व पश्चिम लम्बाई 188 मीटर व उत्तर दक्षिण चौडाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 0.0752 है0 है।

वर्तमान में उक्त रास्ता प्रार्थी की भूमि से लगभग 40 मीटर की दूरी पहले तक चालू है। इस 40 मीटर की दूरी पर रास्ता वढाने की सहमति पर उक्त रास्ता प्रस्तावित करने हेतु नक्शा तैयार किया गया।

प्रा0 पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, जवाव प्रार्थना पत्र फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 04.08.2022 नक्शा ट्रेस, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र में मुख्य रूप से निम्न वाते देखे जाने योग्य है–

1. क्या चाहा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु ही प्रयुक्त होना है ?
2. क्या आवेदक/प्रार्थी की जोत तक पहुंचने का कोई भी मार्ग उपलब्ध नहीं हैं ?
3. यदि एक से अधिक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तो कौन सा मार्ग न्यूनतम दूरी का हैं ?

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, फर्द मौका रिपोर्ट 04.08.2022 का अवलोकन किया गया। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप वादो/दावो के निस्तारण हेतु उभयपक्षकारों की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 69 (पूछताछ एवं आवेदन पत्र का निपटान) के अनुसार पिठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 04.08.2022 को स्वयं मौका निरिक्षण किया गया। जिसमें प्रार्थी के पास कोई वैकल्पीक रास्ता नही होना पाया गया एवं फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 04.08.2022 के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही कम दुरी का होना पाया गया। लेकिन प्रार्थी व उपस्थित अप्रार्थीगणों संख्या 2,3,4,6,9,11 द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता नही देकर खसरा नम्बर 277 (ग्राम छोटा गुढा) में से ग्राम गुडलिया के खसरा नम्बर 737 तक रास्ता दिये जाने पर सहमति जाहिर की गई। अधिवक्ता उभयपक्षकारान की वहस पर विचार करने पर न्यायालय का यह अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त होना है। आवेदक का जोत तक पहुचने का कोई भी मार्ग उपलब्ध नही है। फर्द मौका [illegible] कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता न्यून[illegible] दुरी का है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर काश्त करने हेतु रास्ते की [illegible] का दो गुणा राशि अप्रार्थीगण को हिस्से अनुसार [illegible] रिपोर्ट दिनांक 04.08.2022 के अनुसार संलग्न नक्शे में हरे स्याही से प्रदर्शित खसरा नम्बर 277 रकवा 9.8500 है0 में से लम्बाई 188 मीटर X 4 मीटर = 752 वर्ग मीटर (0.0752 है0) भूमि रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा मुताबिक फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 04.08.2022 के अनुसार वाके ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम गुडलिया (गुडलिया) पटवार हल्का गुडलिया, भू०अभि० निरीक्षण क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित संलग्न नक्शे में हरे स्याही से प्रदर्शित खसरा नम्बर 277 रकबा 9.8500 है0 में से लम्बाई 188 मीटर x 4 मीटर = 752 वर्ग मीटर (0.0752 है0) भूमि का मुआवजा तहसीलदार चौमूं वर्तमान DLC दर के दो गुनी दर से गणना कर प्रार्थीगणों से प्राप्त कर अप्रार्थीगणों को उनके दर्ज हिस्से अनुसार भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं तथा तहसीलदार चौमू को उक्त राशि की जमा कर अप्रार्थीगणों को उनके दर्ज हिस्से अनुसार भुगतान करने एवं संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं। नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। पालना के लिये तहसीलदार चौमू को निर्णय की प्रति भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सीमा खेतान
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested